

I/6279/2023



**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 110032

दिनांक: 26.12.2023

### परिपत्र

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुपालन में इस बोर्ड के प्रत्येक कार्मिक को अपनी वार्षिक अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यह विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

2. अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के वेबसाइट पर एम्प्लोयी कॉर्नर के अंतर्गत उपलब्ध लीव मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) पोर्टल (पुराना) पर वर्ष 2023 तक की अपनी अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण दिनांक 31.01.2024 तक अवश्य अपडेट कर दें क्योंकि यह पोर्टल दिनांक 01.02.2024 को बंद कर दिया जाएगा। आगे, सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती नियम कि आवश्यकता का अनुपालन न करने पर कार्मिक पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और संवेदनशील पदों हेतु आवेदन करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) आवंटन पैनल, इत्यादि हेतु सतर्कता मंजूरी से इनकार करने को आमंत्रित करेगा, क्योंकि वार्षिक अचल संपत्ति विवरण की स्थिति को उक्त प्रयोजनों के लिए जाँच किए जाने की आवश्यकता होती है।

3. उपरोक्त विषय पर अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का संदर्भ लें।

4. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(गोपी पी. नायर)

अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

वितरण: -

- |  |  |
|--|--|
| 1. सभी प्रभाग प्रमुख,<br>के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली               | कृपया इसे अपने अधीनस्थ कार्मिकों में अग्रसारित करें।                 |
| 2. सभी क्षेत्रीय निदेशालय  | कृपया इसे अपने अधीनस्थ कार्मिकों में अग्रसारित करें।                 |
| 3. प्रभाग प्रमुख,<br>आई.टी. प्रभाग,<br>के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली | कृपया इसे के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट एवं ई-ऑफिस (KMS) पर अपलोड कर दें। |

I/6279/2023

**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD**

(Ministry of Environment, Forest &amp; Climate Change, Govt. of India)

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 110032.

Date: 26<sup>th</sup> December, 2023**CIRCULAR**

In accordance to Rule 18 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, every employee of this Board has to submit Annual Immovable Property Returns at the time of his/her first appointment and thereafter in every calendar year.

2. Accordingly, all employees of CPCB are hereby requested to update the full particulars of assets & liabilities on Leave Management System (old) portal available under 'Employee Corner' tab on the website of this Board on or before 31.01.2024 positively for the year 2023 as the Portal will be closed on 01.02.2024. It is further informed that failure on the part of an employee to comply with the requirement of the aforesaid rule shall invite the denial of vigilance clearance for empanelment, deputation and applying to sensitive posts and assignment to training programme (except mandatory training), etc. as the Annual Immovable Property Return status needs to be checked for the said purpose(s).

3. For detailed information about submission of Immovable Property Return, employee may also refer CCS (Conduct) Rules, 1964.

4. This Circular is issued with the approval of the Competent Authority.

(Gopi P. Nair)  
Section Officer (P)

Distribution: -

- |  |   |
|--|---|
| 1. All Division Heads, CPCB,<br>H.O., Delhi      | To circulate it among the employees working under them.               |
| 2. All Regional Directors,<br>CPCB               | To circulate it among the employees working under them.               |
| 3. Divisional Head, I.T. Division<br>CPCB, Delhi | With a request to upload it on the website of CPCB and eOffice (KMS). |